case, No. RCI(A)/90-ACU(IV), a part report was submitted to the Government by the Central Bureau of Investigation (CBI). It has not been possible to complete the investigation mainly due to protracted litigation by some of the accused in Swiss courts against transfer of documents from Switzerland to India, and other legal steps taken by them.

### फर्रुखाबाद में रसोई-गैस की आपूर्ति

*226. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, विशेषकर फर्रुखाबाद में, लोगों को एल॰पी॰जी॰ एजेंसियों की कमी के कारण ईंधन हेतु भारी समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त जिलों में और नई एल॰पी॰जी॰ एजेंसियां स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) ये एजेंसियां कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी?

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री के॰ रामपूर्ति):** (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिलों में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों द्वारा एल॰पी॰जी॰ की आपूर्ति में किसी विफलता की सूचना नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में 680 एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें राज्य की एल॰पी॰जी॰ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रचालनरत हैं। इनमें से 4 फर्रुखाबाद जिले में हैं। एल॰पी॰जी॰ की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1996-98 की एल॰पी॰जी॰ विपणन योजना में उत्तर प्रदेश के लिए 418 नई एल॰पी॰जी॰ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल कर ली गई हैं, जिनमें से 8 फर्रुखाबाद जिले के लिए हैं।

(ग) तेल कम्पनियों ने डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए अनेक स्थानों हेतु पहले से ही विज्ञापन दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 10 डीलर चयन बोर्डों का गठन कर लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन की प्रक्रिया जारी है। डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का वास्तविक रूप से आरम्भ विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है जैसे विज्ञापित स्थानों की संख्या, डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए डीलर चयन बोर्डों द्वारा आयोजित साक्षात्कार, भूमि प्राप्त करना, उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना और डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा गोदाम का निर्माण आदि। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरम्भ होने में आमतौर पर लगभग 6—12 महीने का समय लगता है।

### सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल का उपयोग

*227. **श्री कपिल सिब्बल:**
**श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सारा वर्ष बहने वाली नदियों के जल को घरेलू सिंचाई और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन नदियों के जल का उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा में उपयोग किए जाने का अनुमान है;

(ग) जल की कितनी मात्रा उपयोग में लाए बिना समुद्र में बह जाती है;

(घ) क्या सरकार ने बिना उपयोग किए समुद्र में बह जाने वाले जल को उपयोग में लाने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें से जल की कितनी मात्रा का उपयोग हो सकने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):** (क) से (ङ) नदियों में औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर उपलब्ध है। स्थलाकृतिक, जल वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण उपयोज्य जल संसाधन 1122 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है जिसमें सतही जल से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर और लगभग 432 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक पुनर्भरण भूजल संसाधनों से है। स्थलाकृतिक और पर्यावरणीय बाधाओं, वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों तथा नदी व्यवस्था (रेजीम) को बनाए रखने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित होने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है।

विभिन्न उपयोगों के लिए वर्ष 2000 के वास्ते जल की मांग निम्न प्रकार प्राक्कलित की गई है:—

| क्र०सं० | उपयोग | सन् 2000 के लिए निर्धारित जल की मांग बिलियन क्यूबिक मीटर |
|---|---|---|
| 1. | घरेलू | 33 |
| 2. | सिंचाई | 630 |
| 3. | उद्योग | 30 |
| 4. | ऊर्जा | 27 |
| 5. | अन्य | 30 |
| | **कुल** | 750 |

भविष्य में जल की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का स्थानान्तरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए जल के कुशल और मितव्ययी उपयोग को संवर्धित करने वाली जल प्रबंधन पद्धतियों, विभिन्न पद्धतियों के द्वारा जल संरक्षण पर बल देना जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगों के लिए जल के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी शामिल है, सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास योजना आयोग की स्थापना के साथ-साथ चुनी हुई चल रही प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना शामिल है।

जल संसाधन योजनाओं की आयोजना, उन्हें तैयार करना और उनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। योजनावधि के आरंभ से उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कई छोटे और बड़े बांध शुरू किए गए और इसके फलस्वरूप, योजनावधि के आरंभ होने के समय की 15.64 बी०सी०एम० की कुल भण्डारण क्षमता अब 1995 में बढ़कर 177 बी०सी०एम० हो गई है। साथ ही निर्माण के विभिन्न स्तरों के अंतर्गत बांधों के द्वारा 75 बी०सी०एम० की अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन/विचाराधीन बांधों से 132 बी०सी०एम० अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित होगी।

**मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सहायता**

*228. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए, और

(ग) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों को लाभान्वित करने के लिए नई योजनाएं बनाने का विचार रखती है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल):** (क) फसलों, बागवानी, वर्षासिंचित कृषि आदि के विकास के लिये विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये मध्य प्रदेश सरकार को 292 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाना है जिसके लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों को मिलते हैं। आठवीं योजना के दौरान कुछ केन्द्रीय और कैन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत लाभानुभोगियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:—

| क्र०सं० | स्कीम का नाम | लाभानुभोगियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना | 1622 |
| 2. | किसानों का आदान-प्रदान | 278 |
| 3. | कृषक-वैज्ञानिक मेल-जोल | 1491 |
| 4. | तिलहन उत्पादन कार्यक्रम | 375326 |
| 5. | राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम | 386648 |
| 6. | अनुसूचित जातियों/ अनुसुचित जनजातियों के लिए विशेष स्कीम | 17589 |
| 7. | समेकित कृषि प्रबन्ध | 8956 |

(ग) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में, अनेक केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।